जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये शुरु होगा विशेष रखरखाव कार्यक्रम

शून्य दुर्घटना लक्ष्य की प्राप्ति के लिये विद्युत तंत्र को किया जायेगा और सुदृढ

जयपुर, 10 जून। विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं शून्य दुर्घटना लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्युत तंत्र को और सृदृढ किया जायेगा एवं दुर्घटना के लिये कर्मचारी और अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इसके लिये यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत तंत्र को सृदृढ करने हेतु 16 जून से 14 अगस्त, 2014 के मध्य विशेष रखरखाव कार्यक्रम चलाया जाये।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि विशेष रखरखाव कार्यक्रम **(Special Maintenance Program)** के तहत ढीले व नीचे लटकने वाले विद्युत तारों को कसना, झुके हुये खम्बों को सीधा किया जाना तथा टूटे हुये खम्बों को बदलना, दो खम्बों के बीच लाईन की उचित दूरी बनाये रखने हेतु अतिरिक्त खम्बा लगाना एवं जमीन से विद्युत तारों की उचित उंचाई सुनिश्चित करना आदि कार्य प्राथमिकता से पूरे किये जायेगें।

उन्होंने बताया कि विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सकारात्मक व सराहनीय प्रयास किये जाने तथा 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 के मध्य शून्य विद्युत दुर्घटना वाले वृतों, खण्डों एवं उप खण्डों को उचित प्रात्साहन राशि प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही सम्भागीय मुख्य अभियन्ताओं एवं वृत अधीक्षण अभियन्ताओं के द्वारा अधीनस्थ अभियन्ताओं व तकनीकी कर्मचारियों की नियमित बैठके आयोजित कर उन्हें दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में संवेदनशील बनाने पर जोर दिया जायेगा।

श्री गुप्ता ने बताया कि किसी भी कर्मचारी अथवा सामान्यजन की विद्युत दुर्घटना के लिये सम्बन्धित वृत के अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं लाइन पार्टी इन्चार्ज सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि एक ही क्षेत्र में दुर्घटना की पुनरावृति होने पर सम्बन्धित दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध सुरक्षा निर्देशों की अवहेलना के लिये अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष डिस्कॉम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे अतिशीघ्र प्रत्येक तकनीकी कर्मचारी को हेलमेट, इन्सुलेटेड शूज, अर्थिंग चेन आदि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता होने पर तकनीकी कर्मचारी कार्य सम्पन्न करने के लिये बाध्य नही होंगे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे यह सुनिश्चित करें कि तकनीकी कर्मचारी कार्य के दौरान सुरक्षा साधनों का प्रयोग करे, लाईन के लिये लिखित शट–डाउन लेने के उपरान्त कार्य स्थल पर दोनों तरफ लाईन अर्थ करने के बाद ही कार्य करें।

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 129/2014